न्यायालय उपजिला कलेक्टर टोडाभीम (करौली)

पीठासीन अधिकारी
जगदीश आर्य
(आर0ए0एस0)

मुकदमा नं0 टी0आई0 – 67/2017

तारीख रजू – 12.09.2017

उनवान

1.माया देवी उम्र 38 वर्ष पत्नी स्व0 बहादुर
2.पुष्पेन्द्रसिंह उम्र 18 वर्ष पुत्र स्व0 बहादुर
3.सुमरनसिह उम्र 15 वर्ष पुत्र स्व0 बहादुर
4.यशवेन्द्रसिंह उम्र 12 वर्ष पुत्र स्व0 बहादुर
5.सपना उम्र 20 वर्ष पुत्री स्व0 बहादुर
6.सीमा उम्र 23 वर्ष पुत्री स्व0 बहादुर
समस्त जाति जाटव निवासी पीलवा तहसील टोडाभीम जिला करौली

–सायलान

विरूद्ध

1.बाबूलाल पुत्र गुलेवी
2.श्रवण पुत्र गुलवी
3.घसीडा पुत्र मुरली
4.महेश पुत्र बाबूलाल
5.प्रदीप पुत्र बाबूलाल
6.जितेन्द्र पुत्र प्रकाश
7.गोविन्द पुत्र श्रवण
8.तेजसिंह पुत्र घसीडा
9.पूरणबाई पत्नी महेश
10.विमलेश पत्नी प्रदीप
11.राजन्ती पत्नी प्रकाश
12.ज्ञानबाई पत्नी श्रवण
13.शांति पत्नी बाबूलाल
14.गुड्डी पत्नी तेजसिहं
15.शांति पत्नी घसीडा
16.निरी पत्नी नेमी
समस्त जाति जाटव निवासी पीलवा तहसील टोडाभीम जिला करौली

–गैरसायलान

प्रार्थनापत्र अस्थाई निषेधाज्ञा (स्टे)

उपस्थिति

श्री राम भरोसी गुप्ता एडवोकेट – पक्ष सायलान

एकतरफा कार्यवाही – पक्ष गैरसायलान

जगदीश आर्य
उपजिला कलक्टर
टोडाभीम

Scanned by CamScanner

दिनांक :– 27.10.2017

निर्णय

सायलान ने एक प्रार्थनापत्र अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय का पेश किया है कि भूमि खसरा नं0 1392 क्षेत्रफल 0.56 हेक्टयर, 1392/3230 क्षेत्रफल 0.19 हेक्टयर किस्म बारानी ग्राम पीलवा तहसील टोडाभीम मे स्थित है, यह भूमि सायलान की खातेदारी व कब्जे की भूमि है जिससे गैरसायलान का कोई संबंध किसी प्रकार का नही है। हाल रेवन्यू रिकार्ड जमाबंदी संवत 2071 से 2074 तक मे इस भूमि की खातेदारी सायलान के नाम दर्ज है। गैरसायलान का एक गिरोह है तथा लठ्ठ वाले झगडालू व बदमाश किस्म के आदमी है उनकी नियत मे बेईमानी है तथा वे हमारी भूमि को छीनना चाहते है तथा गॉव से भगाना चाहते है तथा आये दिन झगडा फिसाद करते रहते है। गैरसायलान ने हमारी खातेदारी की भूमि खसरा नं0 1392 क्षेत्रफल 0.56 हेक्टयर, 1392/3230 क्षेत्रफल 0.19 हेक्टयर किस्म बारानी ग्राम पीलवा तहसील टोडाभीम के कुछ रकबे पर कुछ समय पूर्व जबदस्ती कब्जा कर अवैध निर्माण कर लिया है, बाउन्ड्री बना ली है, तारबन्दी तथा टीन डाल दी है तथा लैटिन, बाथरूम बना लिये है। सायलान ने दिनांक 08.09.2017 को गैरसायलान से कहा कि भाईयो तूमने हमारी जमीन पर जबर्दस्ती मारपीट का भय दिखाकर उक्त निर्माण कर लिया है इसको आप तुरंत हटा लो तथा आगे भी निर्माण मत करो, हम कमजोर व गरीब आदमी है हमारे साथ ऐसा अन्याय क्यो करते हो इस पर वे नाराज हो गये और सायलान की भूमि से कब्जा नही हटाने तथा भविष्य मे निर्माण करने की धमकी दी है इसलिये यह प्रार्थना पत्र पेश करना आवश्यक हुआ है। प्रार्थीगण का प्राइमाफेसी केस साबित है।

सायलान का प्रार्थनापत्र दर्ज रजिस्टर कर सुनवाई हेतु नोटिस गैरसायलान जारी किये गये। गैरसायलान की तरफ से कोई उपस्थित नही हुआ उनके खिलाफफ एकतरफा कार्यवाही की गई। सायलान ने अपने दस्तावेजी सबूत मे नकल जमाबंदी संवत 2071 से 2074 प्रस्तुत की है।

वकील सायलान ने एकतरफा बहस मे कहा कि सायलान उपरोक्त भूमि के खातेदार काश्तकार है तथा हाल रेवन्यू रिकार्ड जमाबंदी मे सायलान के नाम खातेदरी दर्ज है। इस भूमि से गैरसायलान का कोई सबंधं किसी प्रकार का नही है। गैरसायलान को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे।

हमने पत्रावली मे उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया, सायलान के वकील की बहस सुनी। सायलान भूमि विवादित के रिकार्डेड खातेदार है। सायलान का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः सायलान का प्रार्थनापत्र अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार कर गैरसायलान को पाबंद किया जाता है कि वे सायलान की खातेदारी व कब्जे की भूमि खसरा नं0 1392 क्षेत्रफल 0.56 हेक्टयर, 1392/3230 क्षेत्रफल 0.19 हेक्टयर किस्म बारानी ग्राम पीलवा तहसील टोडाभीम मे कब्जा नही करे तथा किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य नही करे।

निर्णय आज दिनांक 27.10.2017 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया एवं हस्ताक्षरित किया गया।

जगदीश आर्य
उपजिला कलक्टर
टोडाभीम

Scanned by CamScanner